about the National Human Rights Commission venturing into fields such as pollution of environment, lack of housing etc., instead of concentrating on violation of human rights, have been expressed. The functions of the Commission, as set out in Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993 are not confined merely to conduct of inquiries into allegations of violations of human rights. However the Government's view is that the Commission should not lose its focus on civil liberties & Human Rights.

The protection of Human Rights Act, 1993 has been under implementation for a period of less than two years. It would be premature to make comments on the successes & failures of the working of the Act and the Commission established thereunder.The Commission submits an Annual Report which is laid before both houses of Parliament. This also provides an opportunity for evaluating the performance of the Commission and the working of the Act, and for discussions on any aspects thereof. The Commission submitted its first Annual Report for the year 1993-94 on 3.6.94 which was laid in Parliament on 26 August, 1994. The Government has also since received Commission's second Annual Report for the year 1994-95 on 16 June, 1995 which is being processed for being laid in both Houses of Parliament.

Food Processing Industries in tribal areas of Madhya Pradesh

*147. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state the details of Food Processing Units functioning in the tribal areas of the State of Madhya Pradesh, district-wise and what is the subsidy provided to each of these units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): Since Food Processing industries are both in the organised and unorganised sectors, details of all food processing industries functioning all over the country including those in the tribal areas, district-wise and State-wise are not maintained centrally. The Ministry is operating various Plan Schemes for the development of the food processing industries in the country, including those in the tribal areas. The level of assistance under some of the Plan Schemes for the tribal areas is 25% more than that provided for the other areas.

रेलवे समय-सारणी का उपलब्ध न होना

*148. **श्री राघवजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या यह सच हैं कि 1 जुलाई से प्रभावी तथा वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाली रेलवे समय सारणी कई सप्ताह-बीत जाने के बाद भी अधिकांश रेलेव बुक स्टालो पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख)उसके क्या कारण हैं और क्या रेल मंत्रालय समय सारणी की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रयास करेगा; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (**श्री0 सी0 के0 जाफ़र शरीफ़**) : (क) जी नहीं।

(ख)प्रश्न नहीं उठता। पूरे वर्ष के लिए समय-सारणियों को 7,52,050 प्रतियों के कुल मुद्रण आदेश में से बुक स्टालों को 3.8.95 तक 5,04,632 प्रतियां पहले ही सप्लाई की जा चुकी हैं।

Proposal to Increase Quota of LPG Connections of M.Ps.

*149. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the MPs' quota in respect of LPG connections;

(b) if so, Ihe time by which it is likely to be increased; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF (PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) There is no such proposal at present, in view of the restricted availability of LPG and the huge waiting list.

सुन्दर राजन समिति की सिफारिशें

*150. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को सुन्द राजन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हैं, यदि हां, तो कब;

(ख)क्या समिति ने सरकार से सिफारिश की हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के नियंत्रण-मुक्त आयात और निर्यात तथा घरेलू बाजार में इसके मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान स्तर पर लाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों हेतु देश में खुले बाजार की व्यवस्था की जाए;

(ग)यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि देश मेंकई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अंतर्राष्ट्री बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक हैं; और

(घ)यदि हां, तो ऐसे पदार्थों के नाम क्या हैं और सरकार ने सुन्दर राजन समिति की उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाही की हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां। रिपोर्ट फरवरी, 1995 में प्राप्त की गई थी।

(ख) से (घ) सुन्दराजन समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्सरंचना के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रबंधन तथा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के अग्रणी विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर तैयार किए ग "नीति निर्धारण योजना दल" के लिए प्रारम्भिक सामग्री हैं। नीति निर्धारण दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं।

मध्य प्रदेश में उपयोगी वृक्ष काटने की स्वीकृति

*151. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश शासन ने नीम और महुआ जैसे उपयोगी वृक्षों को काटने की आम स्वीकृति दे दी हैं जबकि महुआ तो गरीब और विशेषकर आदिवासियों की खुराक हेतु फल देते हैं;

(ख)यदि हां, तो देश में नीम जैसे उपयोगी वृक्ष को काटने की स्वीकृति देकर औषधीय भण्डार तथा कृषि खाद का विनाश करने तथा ऐसे वृक्षों को काटने की स्वीकृति देकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का औचित्य क्या हैं; और

(ग)क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को इन वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने पेड़ों की कटाई के लिए कोई सामान्य स्वीकृति प्रदान नहीं की हैं। दिनांक 10 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने 31 वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ी और जलावन की लकड़ी के पारगमन को पारगमन पत्र से छूट दी हैं। नीम और महुआ अधिसूचना में शामिल नहीं हैं। अधिसूचना में शामिल अधिकांश वृक्ष प्रजातियों से इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी मिलती हैं। या फिर वे सजावटी किस्म के है ा?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Infiltration of Militants Through Border

152. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether according to intelligence reports militants have planned to infiltrate in groups through the borders of Jammu and Kashmir, Punjab' .and Rajasthan;

(b) whether it is a fact that militants have planned to attack the major cities of U.P., J&K, Punjab and Rajasthan;